



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179335

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8130 वर्ष 2026

दीपक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : रविंद्र कुमार यादव, संदीप कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 369 सन् 2026, धारा 109(1), 115(2), 351(3), 352, 117(2), 3(5) बी.एन.एस., थाना-सारधना, जनपद-मेरठ में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त उल्लिखित मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, तथापि उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। सूचनादाता अनुज पाल तथा घायल शुभम ने विवेचना के दौरान शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि कुछ अज्ञात हमलावरों, जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे, ने उनके साथ मारपीट की थी और सूचनादाता ने ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों के नाम बताए थे। कुछ अन्य साक्षियों ने भी अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि इस तथ्य से विवाद नहीं किया कि सूचनादाता तथा घायल ने अपने शपथपत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों की सहभागिता से स्पष्ट रूप से इनकार किया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। सूचनादाता तथा घायल ने नामजद अभियुक्तों को आरोपमुक्त करते हुए अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं। शपथपत्रों से संकेत मिलता है कि घायलों के साथ कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा मारपीट की गई थी, जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। आवेदक का नाम कथित रूप से ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बाद में शामिल किया गया।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक-दीपक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करे तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

i. आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25 अगस्त, 2026

ए. पांडेय

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!